e-mail
I/54301/2023

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 443 दिनांक 01.06.2022 द्वारा श्री विकास कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02076) के विरूद्ध कार्य असंतोषजनक रहने, कार्य में लापरवाही बरतने एवं हठधर्मिता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक I/26605 दिनांक 23.06.2022 द्वारा आरोपित से सेवा समाप्ति के विरूद्ध पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक I/30059 दिनांक 10.08.2022 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य मांगा गया। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 711 दिनांक 24.08.2022 द्वारा अपना मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि श्री कुमार लगातार अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे विशेष सर्वेक्षण कार्यो पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं हठधर्मिता को देखते हुए सेवा समाप्ति का मंतव्य दिया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुशंसा, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं बंदोबस्त पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आरोपित को सेवा मुक्त करने का मंतव्य दिया गया है, परन्तु आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि इनको आवंटित खेसरों के किस्तवार का कार्य इनके द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही क्षमा याचना करते हुए एक अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में इनके द्वारा किसी भी कार्य में विलंब नहीं किया जाएगा।

अतः आरोपित द्वारा इनके क्षमा याचना के अनुरोध एवं दिए गए आश्वासन के आलोक में भविष्य में इनके आचरण में सुधार के दृष्टिगत इन्हें सेवा मुक्त न कर एक अवसर प्रदान करते हुए दण्ड स्वरूप इनके मानदेय में से 03 महीने मानदेय की कटौती करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि यदि भविष्य में इनके द्वारा अपने आचरण में सुधार नहीं लाया जाता है एवं इसकी पुनर्रावृति की जाती है, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

Signed by Jai Singh
Date: 01-02-2023 11:22:01

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

3-श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।